अध्याय-3: योजनाओं का कार्यान्वयन

3.1 प्रस्तावना

फसल बीमा योजनाओं का निर्माण उपज हानियों के प्रति कृषि समुदाय को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। इन योजनाओं का राज्यों में आईए (एआइसी एवं निजी बीमा कंपनियाँ) एवं संबंधित राज्यों में कार्यरत बैंक/एफआई के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना था। नौ चयनित राज्यों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में निम्नलिखित बातें प्रकट हुई।

3.2 किसानों के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं होना

योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, आईए को सभी ॠण संवितरण शाखाओं (बैंक एवं एफआई) के साथ सीधा संपर्क रखना अपेक्षित नहीं था। बल्कि, उन्हें बैंकों/एफआई के शीर्ष बिंदु का सामना करना था। संवितरण शाखाओं को अपने शीर्षस्थ बिंदुओं के पास समेकित विवरणी प्रस्तुत करना था जो उसे बाद में आईए के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। एनएआइएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईए को केवल भारत सरकार (राज्यों के पास नहीं) के पास ही रिटर्न/सांख्यिकी उपलब्ध कराना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईए ने सरकारों को एनएआइएस पर आवधिक (मासिक या त्रैमासिक) रिटर्न प्रदान नहीं की थी। बल्कि निधियों की आवश्यकता के समय उनके दावों के समर्थन हेतु सांख्यिकी डाटा प्रस्तुत किया गया था। एनसीआइपी के अंतर्गत जब तक एकीकृत नहीं हुए थे, आवधिक रिटर्नों/सांख्यिकी को एमएनएआईएस अथवा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत प्रस्तुत करने संबंधी कोई अलग आवश्यकता जारी नहीं की गयी थी। उसके बाद (अर्थात् रबी मौसम 2013-14 से), आईए को मासिक प्रगति रिटर्न/सांख्यिकी अथवा सरकारों द्वारा मांगी गयी कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करनी थी। एनसीआईपी दिशानिर्देशों में व्यवस्था भी थी कि आईए को अपने वेबसाइटों पर बीमाकृत किसानों के संपूर्ण ब्यौरे प्राप्त कर उसे अपलोड करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने तथापि, न तो आइए द्वारा एनसीआइपी के अंतर्गत भी सरकारों को मासिक प्रगति रिपोर्ट/सांख्यिकी प्रस्तुत

करने का कोई मामला देखा और न ही उनके वेबसाइटों पर बीमाकृत किसानों के ब्यौरे को अपलोड करने का। लेखापरीक्षा को ऐसा कोई मामला दिखायी नहीं दिया जहाँ निधियों के निर्गम के समय डीएसीएण्डएफडब्ल्यू या एआईसी ने सांख्यिकी डाटा को सत्यापित अथवा विश्लेषित किया हो।

इस प्रकार यह प्रमाणित है कि दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के अभाव में, न तो सरकारों और न ही आईए की लाभार्थियों के डाटा (किसान वार, फसल-वार एवं क्षेत्र-वार) के अनुरक्षण में कोई भूमिका थी और वे पूरी तरह से समेकित प्रारूप में ॠण संवितरण शाखाओं द्वारा प्रदत्त सूचना पर निर्भर थे। परिणामस्वरूप, भारत सरकार और राज्य सरकारे यह सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में नहीं थे कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एनएआइएस, एमएनएआइएस एवं डब्ल्यूबीसीआइएस के अंतर्गत प्रीमियम आर्थिक सहायता के रूप में जारी ₹10617.41 करोड़ एवं एनएआइएस के अंतर्गत दावा प्रतिपूर्ति के रूप में जारी ₹21,989.24 करोड़ अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुँचा या उससे अभिप्रेत प्रयोजन की पूर्ति हुई थी।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने स्वीकार किया (दिसंबर 2016) कि लाभार्थी डाटा उनके या आईए के पास मौजूद नहीं है और कि उन्हें बैंकों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। डीएसीएण्डएफडब्लू ने यद्यपि कहा कि इस कमी पर नये बने पीएमएफबीवाई एवं पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत काम किया जा रहा है।

3.3 किसानों का कवरेज

3.3.1 अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित फसल उगाने वाले सभी किसानों के लिए बीमा कवरेज हेतु दिशानिर्देश[17] व्यवस्था करता है। **अनुबंध-II (क)**, **II (ख) एवं II (ग)** में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 तक सभी कार्यान्वयन राज्यों से संबंधित क्रमशः एनएआईएस, एमएनएआईएस एवं डब्ल्यूबीसीआईएस के विवरण हैं।

---

[17] एनएआईएस दिशानिर्देश की उपधारा 3(ख) एवं एनसीआईपी दिशानिर्देशों की उपधारा 5(4)

3.3.2 निम्न **चार्ट** 2 में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान देश भर में (2011 जनगणना पर आधारित) किसानों की कुल संख्या (13.83 करोड़) की तुलना में सभी फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों का प्रतिशत कवरेज दर्शाया गया है।

चार्ट 2: जनगणना 2011 के समक्ष योजनाओं के अंतर्गत किसानों का कवरेज

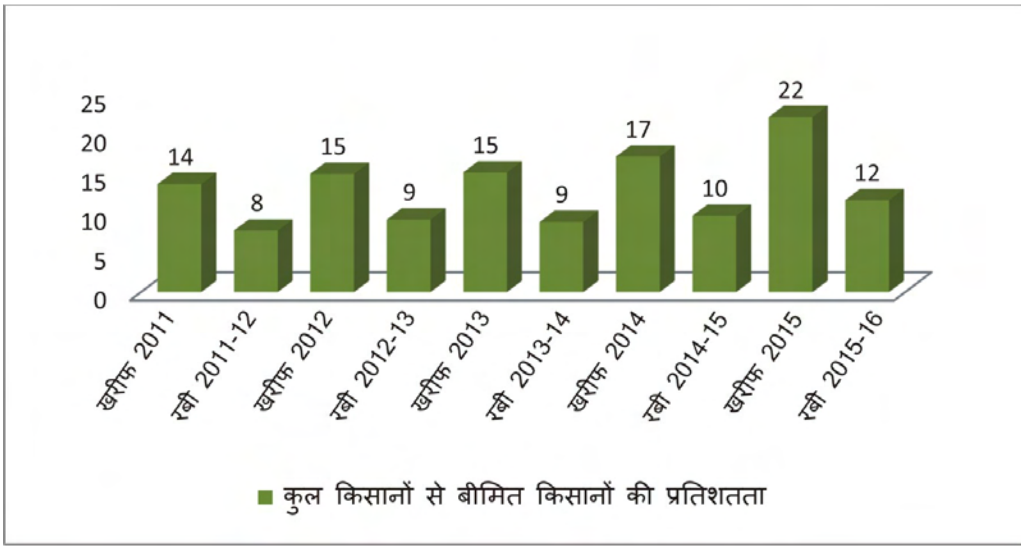

चार्ट से यह देखा जा सकता है, कि बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसानों की कुल संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार किसानों की कुल संख्या की तुलना में कम थी। किसानों की प्रतिशत कवरेज खरीफ मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए 14 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक और रबी मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों के मामले में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक थी।

3.3.3. निम्न **चार्ट 3** में सभी फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत चयनित नौ राज्यों में किसानों का प्रतिशत कवरेज, खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान 2011 की जनगणना पर आधारित किसानों की कुल संख्या (4.86 करोड़) की तुलना में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: जनगणना 2011 की तुलना में चयनित राज्यों के अंतर्गत किसानों का कवरेज

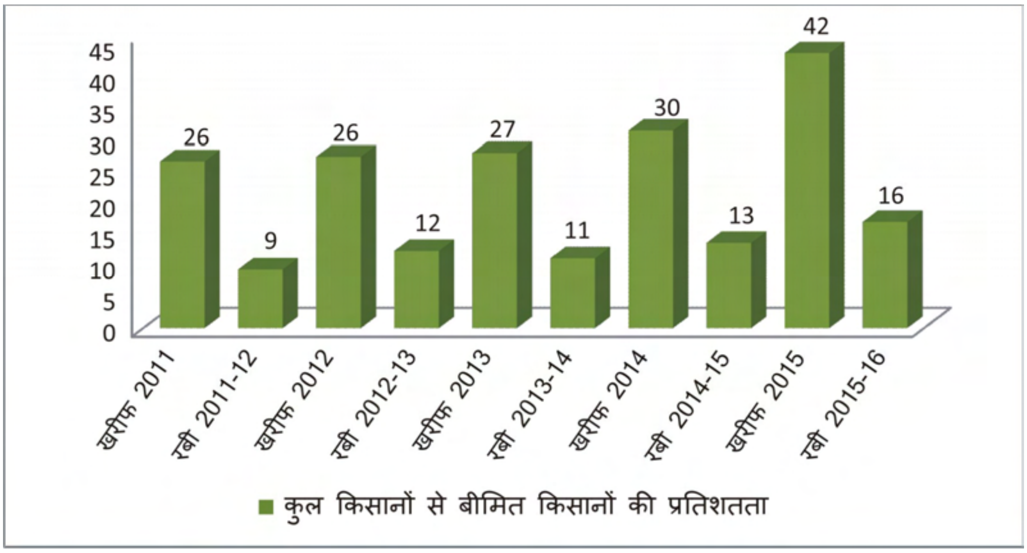

चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसानों की कुल संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार किसानों की कुल संख्या के तुलना में खरीफ के मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों हेतु 26 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच थी और रबी के मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों के मामले में 9 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत के बीच थी।

चयनित राज्यों में किसानों के कवरेज के आगे विश्लेषण से पता चला कि जहाँ **असम** में किसानों का कवरेज कम था (जनगणना 2011 के अनुसार कुल 27.20 लाख किसानों की तुलना में 0.54 प्रतिशत से 1.34 प्रतिशत तक), **राजस्थान** में किसानों का कवरेज अधिक था (जनगणना 2011 के अनुसार कुल 68.88 लाख किसानों की तुलना में 45.17 प्रतिशत से 95.39 प्रतिशत तक)।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू एवं राज्य सरकारों को बीमा योजनाओं में किसानों के कम कवरेज के साथ ही कार्यान्वयन राज्यों में किसानों के कवरेज में बड़े अंतर के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। लेखा परीक्षा ने पाया कि यद्यपि जीओआई और राज्य सरकारें किसानों को बीमा प्रीमियम आर्थिक सहायता दे रही थीं (और एनएआईएस के मामले में, पूरी बीमा दावा देयताओं को पूरा कर रही थीं)

किंतु बीमा योजनाओं[18] के विकल्प का चयन करने वाले किसानों की संख्या में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई थी। लेखा परीक्षा में किसानों के कम कवरेज के लिए उत्तरदायी कारक पाए गए थे कृषि समुदाय में योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव, एवं किसानों के दावे के निपटान में विलंब जिसपर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गयी है।

3.3.4 फसल बीमा योजनाएं ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक थीं। **अनुबंध-III** में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान गैर-ऋणी किसानों के योजना-वार/मौसम-वार ब्यौरे हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनएआईएस (0.01 प्रतिशत से 9.78 प्रतिशत के बीच) या डब्ल्यूबीसीआईएस (1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच) की तुलना में एनएआइएस (13 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच) को गैर ऋणी किसानों ने ज्यादा चुना जैसा कि निम्न **चार्ट** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 4: एनएआईएस के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों के कवरेज

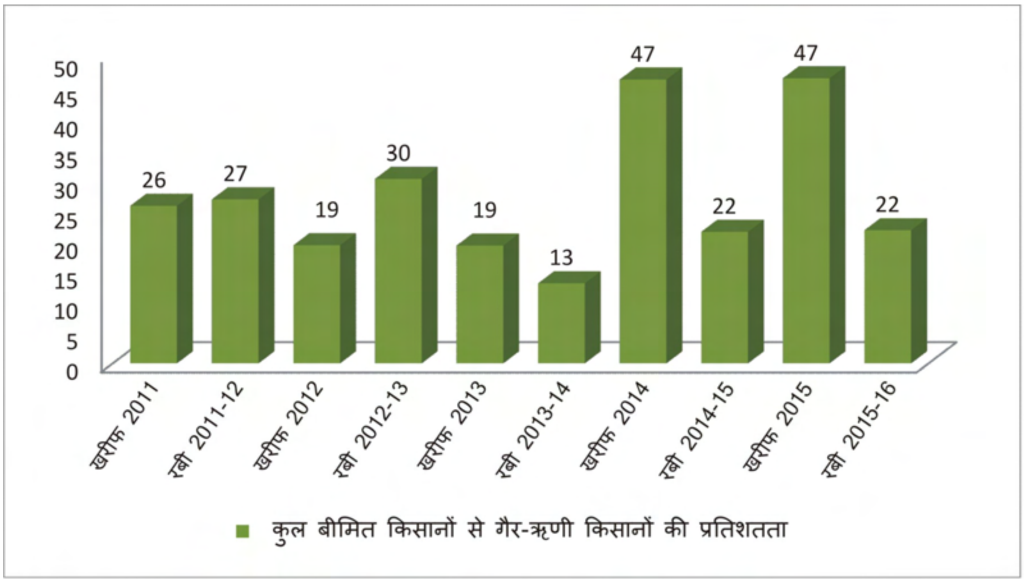

[18] सभी कार्यान्वयन राज्यों में खरीफ के मौसम के लिए 1.89 करोड़ से 3.07 करोड़ तक एवं रबी के मौसम के लिए 1.08 करोड़ से 1.61 करोड़ किसान

चार्ट 5: एमएनएआईएस के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों के कवरेज

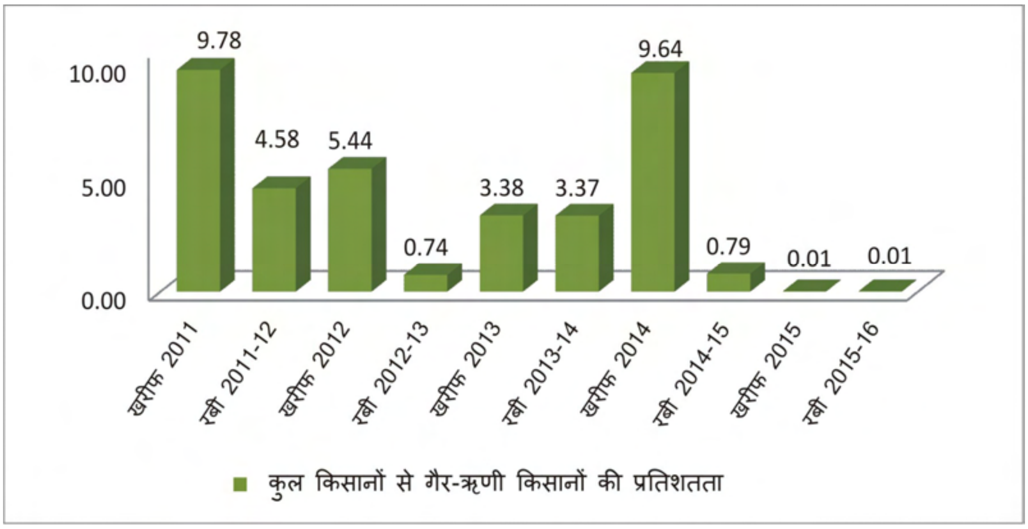

चार्ट 6: डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों के कवरेज

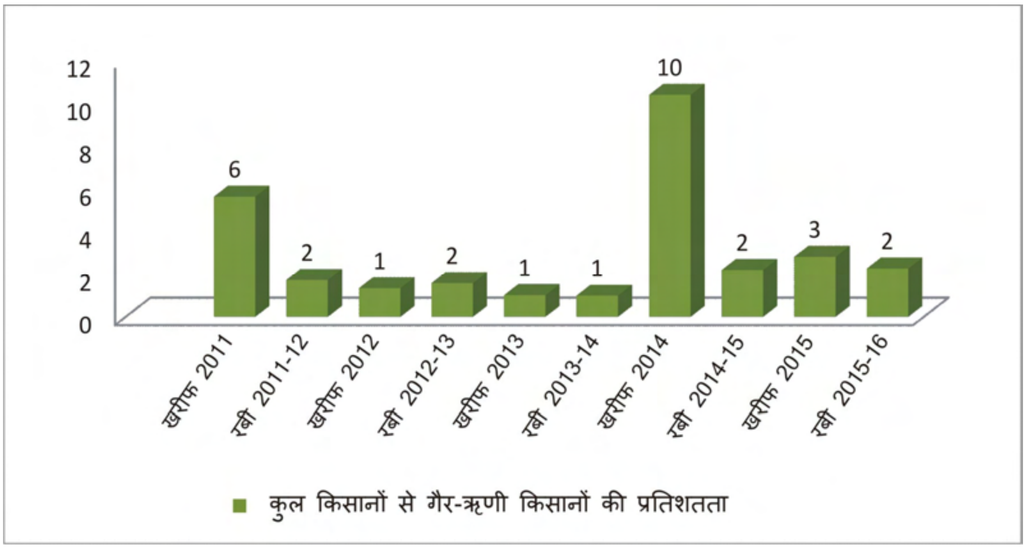

3.3.5 सभी तीन योजनाओं से संबंधित खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान चयनित नौ राज्यों में बीमाकृत किसानों की कुल संख्या के प्रति गैर-ऋणी किसानों के कवरेज के ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिये गये हैं।

अनुबंध-IV से, यह देखा जा सकता है कि एनएआइएस का चयन करने वाले गैर-ऋणी किसानों का प्रतिशत कुल बीमाकृत किसानों के 28 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत के बीच है। एमएनएआइएस का चयन करने वाले गैर ऋणी किसानों का प्रतिशत 0 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक था और डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए कुल बीमाकृत किसानों का 1 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक था। डीएसीएण्डडब्ल्यू द्वारा प्रदत्त डाटा के लेखापरीक्षा

विश्लेषण से पता चला कि एनएआईएस के मामले में, **हरियाणा** में कुल बीमाकृत किसानों के प्रति गैर ऋणी किसानों का अधिकतम प्रतिशत 1.44 प्रतिशत था और जबकि **महाराष्ट्र**[19] के मामले में, योजना के अंतर्गत शामिल सभी किसान गैर-ऋणी थे। यह भी देखा गया था कि खरीफ मौसम 2013 से खरीफ मौसम 2015 तक किसानों के कवरेज में प्रतिशतता वृद्धि 555 प्रतिशत थी एवं रबी मौसम 2013-14 से रबी मौसम 2015-16 तक किसानों के कवरेज में प्रतिशतता वृद्धि 1329 प्रतिशत की थी।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को एमएनएआइएस एवं डब्ल्यू बीसीसीआइएस में गैर-ॠणी किसानों के कम कवरेज हेतु कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। डीएसी एण्डएफडब्ल्यू को एनएआईएस के मामले में महाराष्ट्र में किसानों के कवरेज में भारी वृद्धि का भी विश्लेषण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकारे किसानों को बीमा प्रीमियम आर्थिक सहायता दे रही थीं, एमएनएआईएस एवं डब्ल्यू बीसीआईएस का चयन करने वाले गैर-ऋणी किसानों की संख्या काफी कम थी। किसानों के कम कवरेज के कुछ महत्त्वपूर्ण कारण हो सकते है-i) कृषि समुदाय में जागरूकता का अभाव जिसे चयनित जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में देखा गया था एवं ii) किसानों के दावे के निपटान में विलंब जिस पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गयी है।

3.3.6 एमएनएआइएस और डब्ल्यूबीसीआइएस किसानों की सभी श्रेणियों के लिए समान प्रीमियम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, एनएआईएस के विपरीत जो छोटे एवं सीमांत के किसानों को ही आर्थिक सहायता देता है। परिणामस्वरूप, छोटे एवं सीमांत के किसानों का डाटा केवल एनएआइएस के अंतर्गत उपलब्ध है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार, छोटे एवं सीमांत किसान (11.76 करोड़) कुल किसानों की संख्या (13.83 करोड़) के 85 प्रतिशत थे, एनएआईएस के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज कम था और छोटे एवं सीमांत किसानों की कुल

[19] एनएआइएस के अंतर्गत बीमाकृत सभी किसानों को गैर-ऋणी किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, चूंकि बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया (जून 2006) कि ऋणी किसानों का कवरेज अनिवार्य नहीं होगा जैसाकि योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित था।

संख्या का 2.09 प्रतिशत से 13.32 प्रतिशत के बीच था जिसका ब्यौरे **चार्ट 7** में दिया गया है।

चार्ट 7: जनगणना 2011 की तुलना में एनएआईएस के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज

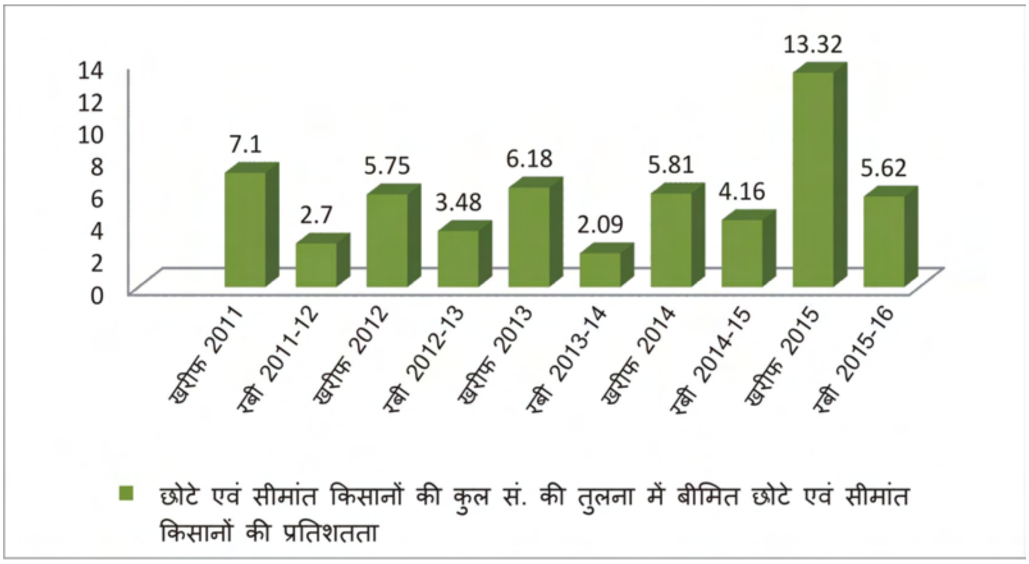

3.3.7 लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार चयनित राज्यों के छोटे एवं सीमांत किसान (4.04 करोड़) चयनित राज्यों के किसानों की कुल संख्या (4.86 करोड़) का 83 प्रतिशत थे**,** एनएआइएस के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज कम था और छोटे एवं सीमांत किसानों की कुल संख्या का एक प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच था जैसाकि निम्न **चार्ट** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 8: जनगणना 2011 की तुलना में एनएआईएस के अंतर्गत चयनित राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज

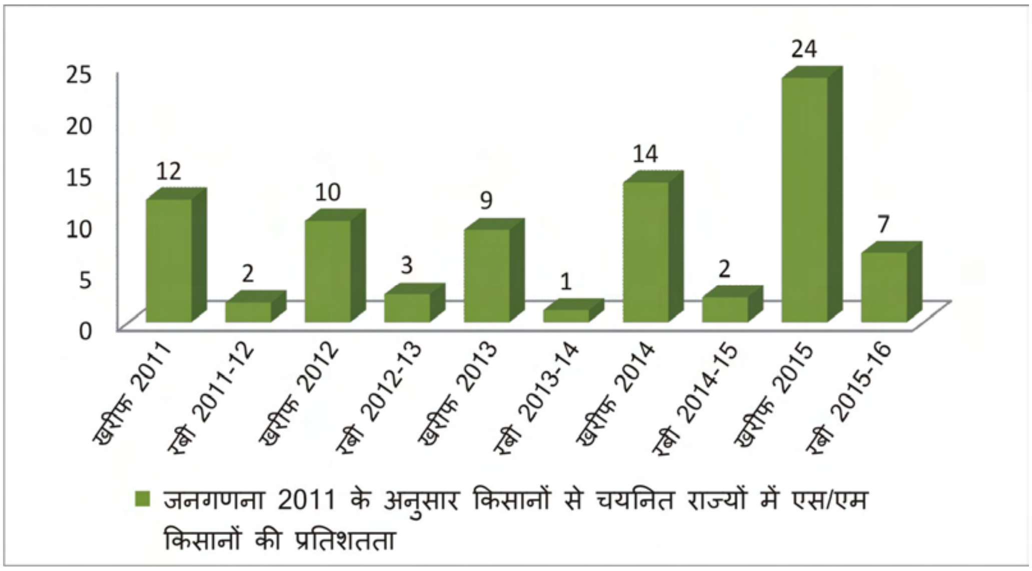

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को बीमा योजनाओं में छोटे और मध्यम किसानों के कम कवरेज के कारणों का विश्लेषण करना होगा।

3.3.8 दिशानिर्देशों[20] में बटाईदार एवं कास्तकारों की बीमा की व्यवस्था है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि ऐसा कोई विवरण राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था, यह सत्यापित करना संभव नहीं था कि योजना के लाभों को इस श्रेणी तक पहुँचाया गया है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को इस श्रेणी को भी चिह्नित करने और योजना के तहत लाने के लिए तंत्र विकसित करना होगा।

3.3.9 2011-12 एवं 2015-16 के बीच, डीएसीएसण्डएफडब्ल्यू ने इन योजनाओं के तहत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को शामिल करने के लिए ₹2,381.33 करोड़ का आबंटन एवं निर्गम किया था। तथापि, एआईसी ने इन श्रेणियों को वित्तीय सहायता पर अलग डाटा का अनुरक्षण नहीं किया था। इसी प्रकार, एआईसी ने योजना के तहत महिला किसानों पर डाटा का अनुरक्षण नहीं किया जबकि 2013-14 की एनसीआईपी दिशानिर्देश में एससी/एसटी एवं महिला श्रेणी के किसानों के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता थी और डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने एआइसी को (दिसबंर 2011) ऐसी सूचना का अनुरक्षण करने के लिए कहा था।

[20] एनएआईएस की उपधारा 3 और एनसीआईपी दिशानिर्देशों की उपधारा 5

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने बताया (दिसंबर 2016) कि नये शुरू हुए पीएमएफबीवाई के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल[21] पर रियल-टाइम श्रेणी-वार डाटा उपलब्ध होगी।

3.3.10 एनएआईएस के लिए एकमात्र कार्यान्वयन अभिकरण एआईसी था। दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमाकृत किसान के चयन के अनुसार बीमाकृत फसल की सीमा उत्पादन मूल्य तक बीमाकृत राशि को बढाया जा सकता है। किसान अपनी फसल का बीमा सीमा उत्पादन से ऊपर अनुसूचित क्षेत्र के औसत उत्पादन के 150 प्रतिशत के मूल्य तक प्रीमियम का वाणिज्यिक दर पर भुगतान करके भी कर सकता है। ऋणी किसानों के मामले में, बीमाकृत राशि को कम से कम फसल ऋण अग्रिम के बराबर होना चाहिए।

एआईसी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार, खरीफ मौसम 2012 से रबी मौसम 2015-16 की अवधि में (14 जनवरी 2017 को) यह देखा गया था कि कुल बीमाकृत किसानों के 94.58 से 98.67 प्रतिशत ने ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि का चयन किया था, ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

तालिका 5: किसानों के ब्यौरों के साथ बीमाकृत राशि दर्शाती विवरणी

मौसम	जहां बीमाकृत राशि के बराबर है	जहां बीमाकृत राशि टीवाई के 150% के बराबर है	जहां बीमाकृत राशि टीवाई के 150% से अधिक है	किसानों की सं.	कॉलम सं. 2 की कॉलम सं. 5 से प्रतिशतता
	(संख्या हजारों में)				
1	2	3	4	5	6
खरीफ 2012	10,577	192	4	10,773	98.18
रबी 2012-13	6,144	412	33	6,590	93.24
खरीफ 2013	9,745	75	6	9,827	99.17
रबी 2013-14	3,974	84	19	4,076	97.48
खरीफ 2014	9,683	166	613	10,462	92.56
रबी 2014-15	7,010	176	1	7,187	97.53
खरीफ 2015	20,676	88	390	21,154	97.74
रबी 2015-16	6,611	167	2	6,780	97.51
कुल	**74,419**	**1,360**	**1,069**	**76,848**	**96.84**

[21] सभी संबंधित पणधारियों (विशेषकर राज्य, बैंक एवं बीमा कंपनियां) को एकल आईटी मंच पर एकीकृत करने के लिए डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा विकसित फसल बीमा पोर्टल।

यह दर्शाता है कि या तो ऋणी किसान केवल ऋण राशि को आवृत्त करने के लिए उत्सुक थे (इस मामले में, योजना फसल बीमा से अधिक ऋण बीमा के रूप में कार्य कर रही थी) या योजना के पूरे प्रावधानों के बारे में जागरूक नहीं थे अथवा ऋण संवितरण बैंक/एफआइ द्वारा समुचित रूप से सूचित नहीं किये गये थे।

3.4 बीमा के निर्धारित क्षेत्र/इकाई क्षेत्र को अपनाना

भारत में कृषि अलग, विविधतापूर्ण एवं कई तरह के जोखिमों से भरी हुई है। बीमा के अन्य रूपों की तुलना में फसल बीमा में विषमता की समस्या अधिक गंभीर है। क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित योजनाएं इन समस्याओं[22] के समाधान के रूप में 1980 में शुरू की गयी थीं। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आवृत्त फसल बीमा योजनाओं में राज्य सरकारों को निर्धारित क्षेत्रों के रूप में लघुतम संभव इकाई को गाँव एवं ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए अधिसूचित करना आवश्यक है। क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर, अधिसूचित क्षेत्र के सभी किसान की क्षतिपूर्ति होती है यदि निर्धारित क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन में सीमा उत्पादन की तुलना में गिरावट दिखायी देती है, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों के फसल उत्पादन के आधार पर परिकलित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने हालांकि पाया कि ओडिशा को छोड़कर जहां ग्राम पंचायत को धान की फसल अर्थात् रबी 2010-11 हेतु इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत को निर्धारित किया गया था, सभी अन्य चयनित राज्यों में जिला अथवा जिला समूह या ब्लॉक बीमा की इकाई बने रहे। डीएसीएण्डएफड्ब्ल्यू ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि राज्य सरकारें, जो बीमा इकाई को अधिसूचित करने के लिए जवाबदेह थीं, ऐसा करने में असफल रहीं, परंतु नये पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत राज्य के प्रमुख फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत को बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित करना राज्यों के लिए अनिवार्य है।

3.5 राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाएं जारी करने में विलंब

योजना दिशानिर्देश में राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक मौसम की शुरूआत से कम से कम एक माह अग्रिम में फसलों और शामिल क्षेत्रों को अधिसूचित करने के

[22] भारत में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का प्रतिवेदन (मई 2014)।

साथ संबंधित बीमा कंपनी को नामित करना आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा ने हालांकि नौ चयनित राज्यों में ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने में एनएआईएस, एमएनएआईएस एवं डब्ल्यूबीसीआईएस के मामले में क्रमशः 132 दिन, 136 दिन एवं 171 दिनों का विलंब पाया, जैसाकि विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने विलंबों को स्वीकार किया (जनवरी 2017) लेकिन बताया कि ये प्रशासनिक कारणों से हुए थे और किसानों की भागीदारी प्रभावित नहीं हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यौजना लाभ केवल अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर लिये गये ऋण पर ही दिया जा सकता है। अधिसूचना के अभाव में, बैंक/एफआई इससे अनजान रहे कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौन-सी फसल और क्षेत्र शामिल होंगे और कौन सी बीमा कंपनी नामित हुई है। इस सूचना के अभाव में, यह संभव है कि बैंक/एफआई अपनी पसंद की बीमा कंपनियों (और नामित कंपनी हो यह जरूरी नहीं है) के साथ अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित दोनों प्रकार के फसलों/क्षेत्रों का बीमा कराएंगे। दूसरी तरफ, ऐसे अनुचित विलंबों से गैर-ऋणी किसानों के मामले में प्रतिकूल चयन हो सकता है, जहाँ किसान नामित बीमा कंपनियों के पास बाद के चरण में अपनी खड़ी फसल की वास्तविक स्थिति जानने के बाद पहुँचते है और बीमा कंपनियों द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह जांच करनी होगी कि कैसे इन परिस्थितियों में, राज्य सरकारें सुनिश्चित करती हैं कि इन योजनाओं के लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुँचाएं जाते हैं।

3.6 किसानों को बैंक/एफआई द्वारा घोषणाओं की विलंबित प्रस्तुति के कारण लाभ से वंचित रखना

फसल बीमा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक/एफआई को बीमा प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित तिथियों का अनुपालन आवश्यक है; निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त घोषणाओं का दायित्व आईए के पास न होकर बैंक/एफआई के पास रहता है।

लेखापरीक्षा ने एआईसी से संबंधित नौ चयनित राज्यों में से छः के मामले देखे, जहाँ बैंक/एफआई ने निर्धारित तिथियों के बाद घोषणाओं की प्रस्तुति की अथवा एआईसी को कम सूचना उपलब्ध करायी जिससे प्रस्तावों को अस्वीकार

किया गया। बैंकों/एफआई द्वारा ऐसी लापरवाही लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसानों को बीमा सुरक्षा से वंचित रखे जाने में प्रतिफलित हुई, जैसाकि निम्न **तालिका** में दर्शाया गया है।

तालिका 6: बीमा योजनाओं से वंचित किसानों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	बीमा योजनाओं से वंचित किसानों की संख्या	संग्रहित प्रीमियम (₹ करोड़ में)
1.	असम	2,578	0.24
2.	गुजरात	10,882	1.49
3.	हरियाणा	974	0.59
4.	महाराष्ट्र	**उ.न.**	0.48
5.	ओडिशा	8,469	2.46
6.	राजस्थान	12,748	2.10
	कुल	**35,651**	**7.36**

3.7 फसल कटाई परीक्षण

फसल बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को फसल उत्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में सभी अधिसूचित फसलों के लिए फसल काटने के परीक्षणों (सीसीई)[23] की आवश्यक संख्या की योजना बनाकर उसे आयोजित करना होता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन डाटा को भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों को देय बीमा दावों का मूल्यांकन करने के लिए बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराना होता है। यदि बीमाकृत फसल (आवश्यक सीसीई की संख्या के आधार पर) के वास्तविक उत्पादन (एवाई) निर्धारित सीमा उत्पादन (टीवाई) से कम हो, अधिसूचित क्षेत्र में उस फसल को उगाने वाले सभी किसानों को गिरावट से ग्रस्त माना जाता है और उसी अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। सीसीई इसलिए बीमाकृत किसानों की क्षतिपूर्ति किये जाने वाले आधार का मूल्यांकन करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को फसल उत्पादन

[23] सरलतम और सामान्य तौर पर प्रयुक्त फसल उत्पादन अनुमान की विधि जहाँ निश्चित पूर्व निर्धारित क्षेत्र का चयन यादृच्छिक रूप से करके उत्पादन का आंकलन करने के लिए काटा जाता है।

एवं फसल बीमा दोनों के लिए सीसीई की एकल श्रृंखला का अनुरक्षण करना आवश्यक है।

सीसीई से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दिशानिर्देश के निर्धारण से कम सीसीई का आयोजन, राज्य के कृषि विभाग द्वारा सीसीई का मॉनिटरिंग नहीं होना, निर्धारित प्रारूप में सीसीई के ब्यौरे भरने का चलता तरीका, राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन डाटा की प्रस्तुति में विलंब आदि मामले प्रकाश में आए। चूंकि फसल खराबी के कारण किसानों के नुकसान का परिकलन जैसाकि योजना में परिकल्पित है, सीसीई के ऊपर निर्भर है, अतः फसल हानि के गलत अनुमान की संभावनाएं हैं जो बदले में किसानों को देय बीमा दावों की मात्रा को प्रभावित करेगी और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दावों के अस्वीकरण में भी प्रतिफलित हो सकता है जब आवश्यक संख्या में सीसीई अधिसूचित क्षेत्रों में आयोजित नहीं किये जाएंगे।

कुछ राज्य विशिष्ट कमियों पर **अनुबंध-VI** में चर्चा की गई है।

सीसीई में कमी तथा किसानो पर उनके प्रभावों को उजागर कर रहे कुछ रोचक मामला अध्ययनों को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

मामला अध्ययन - असम

असम के धेमजी, कर्बी एगलोंग तथा हेलकांडी जिलों में ग्रीष्मकालीन धान हेतु कुल 740 किसानों को ₹231.35 लाख के लिए बीमाकृत किया गया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (राज्य में सीसीई का आयोजन करने तथा मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी एक विभाग) द्वारा प्रकाशित सीसीई रिपोर्ट के अनुसार ग्रीष्मकालिन धान की वास्तविक पैदावार इन जिलों हेतु 1,535,1,742 तथा 1,786 कि.ग्रा./हैक्टर की सीमा पैदावार के प्रति 1,024,1,544 तथा 1,766 किग्रा हैक्टर थी। परिणामस्वरूप, इन जिलों के किसान बीमा क्षतिपूर्ति के पात्र थे। तथापि, यह पाया गया था कि एआईसी ने कृषि निदेशालय द्वारा प्रदत्त विवरणों के आधार पर ग्रीष्मकालिन धान को 902,1,153 तथा 1,536 कि.ग्रा./हैक्टर के रूप में माना था तथा परिणामस्वरूप उसने बीमा क्षतिपूर्ति हेतु पात्र किसानों पर ध्यान नहीं दिया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने बताया (जनवरी 2017) कि कृषि निदेशालय को प्रदान किया गया प्रारम्भिक डाटा प्रावधानिक था तथा सीसीई रिपोर्ट में अंतिम डाटा शामिल था। एआईसी को अघतन किया गया डाटा प्रदान करने में कृषि निदेशालय की विफलता का परिणाम इन जिलों के किसानो को बीमा क्षतिपूर्ति से इन्कार में हुआ।

मामला अध्ययन- ओडिशा

ओडिशा सरकार ने केवल अगस्त 2016 (मार्च 2016 की अंतिम तिथि के प्रति) में जाकर ही खरीफ मौसम 2015 हेतु पैदावार डाटा प्रस्तुत किया था। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त मौसम हेतु 30 जिलों में 21.53 लाख किसानों के सबंध में दावों के निपटान को केवल नवम्बर 2016 में जाकर ही अंतिम रूप दिया गया था तथा अदा किए गए थे, जबकि उस समय तक दो मौसम (रबी मौसम 2015-16 तथा खरीफ मौसम 2016) बीत गए थे तथा रबी मौसम 2016-17 के अंतर्गत बुआई प्रारम्भ हो चुकी थी।

3.8 स्वचालित मौसम स्टेशनों की कार्य प्रणाली

डब्ल्यूबीसीआईएस प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप फसलों की हानियों के प्रति किसानो का बीमा करता है। हानि अनुमान हेतु, एक संदर्भ इकाई क्षेत्र (आरयूए)[24] को विशिष्ट क्षेत्र हेतु संदर्भ मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस)[25] से जोड़ा गया है। आरडब्ल्यूएस की एसएलसीसीसीआई द्वारा उपलब्ध स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) में से पहचान की जाती है। दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि आरडब्ल्यूएस के सभी उपकरण, मौसम सेंसर आदि विश्व मौसम विज्ञान सगंठन (डब्ल्यूएमओ)/भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक विशिष्टताओं के होने चाहिए, उचित प्रकार से संस्थापित होने चाहिए तथा नियमित रूप से अंशशोधित होने चाहिए। दिशानिर्देश एक प्रत्यायन अभिकरण, जो समय-समय पर यादृच्छिक रूप से कुछ मौसम स्टेशनों का दौरा करेगा, द्वारा मौसम स्टेशन के उपकरणों, अनावरण परिस्थितियों, अनुरक्षण तथा डाटा गुणवत्ता के प्रमाणन का प्रावधान भी करते हैं।

---

[24] संदर्भ इकाई क्षेत्र डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत आवृतन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट क्षेत्र है।

[25] संदर्भ मौसम स्टेशन एक विशिष्ट संदर्भ इकाई हेतु मौसम डाटा प्रदात्ता है।

आन्ध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा **तेलंगाना** से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने आरडब्ल्यूएस के कार्य करने में निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

क) कृषि विभाग ने बताया कि सभी आरडब्ल्यूएस (257) क्रियात्मक हैं परंतु स्वीकार किया कि निधियों की गैर-प्राप्ति के कारण आरडब्ल्यूएस की मॉनीटरिंग नहीं की जा सकी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे इन आरडब्ल्यूएस द्वारा प्रदत्त मौसम डाटा की यथार्थता को सुनिश्चित किया गया है। **(असम)**

ख) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओआई के निर्देशों के विपरीत, उदयपुर तथा झालवार जिलों में नमूना जांच किए गए ब्लाकों में किसी भी आरडब्ल्यूएस को भूमि स्तर पर संस्थापित नहीं किया गया था। अलवर जिलें में, 133 आरडब्ल्यूएस में से केवल चार को भूमि स्तर पर संस्थापित किया गया था। इस प्रकार, इन आरडब्ल्यूएस द्वारा एकत्रित डाटा की विश्वसनीयता तथा यथार्थता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। **(राजस्थान)**

ग) दरियापूर तालूका में लेखापरीक्षा तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि आरडब्ल्यूएस को दो राजस्व परिमण्डलों में दर्शाए गए पतों पर संस्थापित नहीं किया गया था। **(महाराष्ट्र)**

घ) डब्ल्यूबीसीआईएस की प्रभावकारिता को केवल आरडब्ल्यूएस नेटवर्क के धनत्व को बढ़ा कर ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जीओआई दिशानिर्देश (नवम्बर 2013) अनुबंध करते हैं कि जहां वर्षा तथा हवा परिस्थितियों की जांच की जानी है वहाँ आरयूए को आरडब्ल्यूएस के आर-पास 10 कि.मी. के घेरे तक सीमित किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अलवर तथा झालावर जिलों में 2011 से 2013 तक प्रत्येक तहसील स्तर पर केवल दो आरडब्ल्यूएस संस्थापित किए गए थे। इसके पश्चात् राज्य सरकार ने प्रत्येक गिर्दवार परिमण्डल[26] हेतु

[26] गिर्दवार परिमण्डल (भूमि राजस्व परिमण्डल की एक इकाई) में कुछ पटवारी परिमण्डल शामिल है।

एक आरडब्ल्यूएस को संस्थापित किया। तथापि, इन आरडब्ल्यूएस हेतु स्थान के चयन के किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि 2011 से 2013 तक आरडब्ल्यूएस का धनत्व काफी खराब था। यघपि, 2013 के पश्चात घनत्व को कुछ सीमा तक सुधारा गया था फिर भी राज्य सरकार के पास आरडब्ल्यूएस की संस्थापना के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। **(राजस्थान)**

ङ) दो चयनित राज्य तृतीय दल डाटा प्रदात्ता द्वारा प्रदत्त एडब्ल्यूएस उपकरण के प्रमाणन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे जो एनसीआईपी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायित किया जाना अपेक्षित था। **(महाराष्ट्र तथा राजस्थान)**

च) दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि एडब्ल्यूएस संचारण तारों से दूर होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वाईएसआर कदपा में 96 में से 72 एडब्ल्यूएस विद्युत सब-स्टेशनों में स्थित थे तथा इसलिए वह संचारण तारो से दूर नहीं थे। **(आन्ध्र प्रदेश)**

छ) मेहबूबनगर तथा निजामाबाद जिलों में चार एडब्ल्यूएस विघुत सब-स्टेशनों में स्थित थे तथा इसलिए वह संचारण तारों से दूर नहीं थे। **(तेलंगाना)**

लेखापरीक्षा में पाई गई आररडब्ल्यूएस से संबंधित कुछ कमियों के फोटोग्राफ नीचे दिए गए है:

दमपलगट्टू विद्युत स्टेशन के पास स्थित एडब्ल्यूएस (11724), दमपलगट्टू, काजीपेट मंडल, कदापा जिला (आन्ध्र प्रदेश)

चितंकुटना विद्युत स्टेशन के पास स्थित एडब्ल्यूएस (11717), रामपुर, दुव्वुर मंडल, कडापा जिला (आन्ध्र प्रदेश)

3.9 कृषि विभाग को मौसम डाटा प्रदान करने में विलम्ब

डब्ल्यूबीसीआईएस हेतु एनसीआईपी दिशानिर्देशो का पैरा 8.5.1 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार को संदर्भ इकाई क्षेत्र (आरयूए), संदर्भ मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) तथा बैकअप मौसम स्टेशनो को अधिसूचित करना चाहिए। सभी दावों का आरडब्ल्यूएस द्वारा दर्ज डाटा के आधार पर निपटान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य कृषि विभाग को, नोडल अभिकरण होने से, ऐसी परिस्थितियों को शामिल करना चाहिए जिसे वह योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त समझे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी संकल्प (सितंबर 2014) के माध्यम से अनुबंध किया कि तृतीय दल डाटा प्रदात्ता से बीमा कम्पनियों द्वारा प्राप्त मौसम डाटा को बैबसाईट पर डाले जाने के लिए प्रत्येक सप्ताह बागवानी विभाग (डीओएच) को भेजा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 के दौरान बीमा कम्पनियो ने न तो डाटा प्रदात्ता से प्रत्येक सप्ताह मौसम डाटा एकत्रित किया था और न ही उसे डब्ल्यूबीसीआईएस (बागवानी) के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से डीओएच को प्रस्तुत किया था। टाटा एआईसी जर्नल इंसोरेशन कम्पनी लि. के अभिलेखो की नमूना जांच ने प्रकट किया कि नवम्बर 2014 से फरवरी 2015 (4 महीनों) की अवधि हेतु जिला अहमदनगर का मौसम डाटा 24 जूलाई 2015 को डाटा प्रदात्ता (एनसीएमएल, हैदराबाद) से एकत्रित किया गया था तथा इसे, सरकारी संकल्प के उल्लघंन में, 19 से 34 सप्ताहों के बीच के विलम्ब से डीओएच को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2017) कि सभी कम्पनियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी वैबसाईट पर डाटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाएगा।

3.10 बुवाई क्षेत्र के आधिक्य में बीमाकृत क्षेत्र

3.10.1 दिशानिर्देश परिकल्पित करते है कि बुवाई न हुए क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण, योजना द्वारा आवृत्त नहीं होंगे। किसान केवल इसलिए मुआवजे को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा कि बैंक/एफआई ने ऋणों को संवितरण कर दिया है या (गैर-ऋणी किसानों के मामले में) प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए गए

हैं। राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह फसल मौसम के दौरान जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों (डीएलएमसी) के माध्यम से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें।

आन्ध्र प्रदेश, **महाराष्ट्र**, **ओडिशा** और **तेलंगाना** में लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 2011-12 और 2015-16 के दौरान 12 जिलों में बुवाई क्षेत्र से बीमाकृत क्षेत्र 17.33 लाख हेक्टर तक अधिक था जिसका विवरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है। ए.आई.सी. के पास उपलब्ध अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि **तेलंगाना** के निज़ामाबाद और महबूबनगर जिलों के मामले में क्षेत्र सुधार कारक (एसीएफ)[27] लागू किया गया था और किसानों के दावे **₹** 10.13 करोड़ तक कम कर दिए गए थे। **महाराष्ट्र** और **ओडिशा** के मामले में, एआईसी ने बताया (फरवरी 2017) कि इसे लागू नहीं किया गया था क्योंकि (**i**) महाराष्ट्र के मामले में वास्तविक क्षेत्र बुवाई आंकड़े का अनुमान केवल देखकर लगाया गया था और अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिए वास्तविक बुवाई क्षेत्र विवरणों की गैर उपलब्धता के आधार पर लगाया गया था, और (**ii**) ओड़िशा राज्य सरकार, राज्य सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी द्वारा प्रदत्त बुवाई क्षेत्र डाटा की गुणवत्ता से सहमत नहीं थी। इस प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त और एआईसी द्वारा प्रयुक्त डाटा की प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.10.2 लेखापरीक्षा ने यह पाया कि **राजस्थान** सरकार ने रबी मौसम 2013-14, खरीफ मौसम 2014, खरीफ मौसम 2015 और रबी मौसम 2015-16 में चयनित जिलों में फसल बीमा की अधिसूचनाएं विभिन्न बीमा कम्पनियों के हित में यह जानने के बावजूद कि उसमें अनुपजाऊ क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न कारणों से बीज नहीं उगते हैं) शामिल नहीं है, इस शर्त के साथ जारी कर दी कि गिरद्वारी (फसल उत्पादन की ऐसी रिपोर्ट जो बुवाई समय के तीन चार माह तक संचालित की जाती है) में सूचित फसल क्षेत्र के आधार पर दावों

[27] क्षेत्र सुधार कारक किसी भी दिए गए यूनिट क्षेत्र के लिए बीमाकृत क्षेत्र द्वारा बुवाई क्षेत्र को भाग करके निकाला जाता है और इसे कम करने के दावा राशि पर लगाया जाता है। परिणामस्वरूप, एक यूनिट क्षेत्र में सभी किसानों के दावे समान रूप से कम किए जाते है।

का निपटान किया जाएगा। चार जिलों में फसलों की निष्फलता के कारण राज्य की सहमति के बिना बीमा कम्पनियों ने ए.सी.एफ. लागू कर दिया था और 3.89 लाख लाभांवित किसानों के लिए बुवाई क्षेत्र 2.27 लाख हेक्टयर तक कम कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप बीमा दावों के कारण ऋणी किसानों को ₹31.27 करोड़ की हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, बिना किसी बीमा कवरेज के 'अनुपजाऊ क्षेत्र' के लिए अतिरिक्त बीमा किस्त भुगतान के कारण इन किसानों को ₹8.68 करोड़ की भी हानि हुई थी क्योंकि किसानों द्वारा भुगतान की गई बीमा-किस्त राशि की वापसी नहीं की गई थी। यद्यपि, बीमा कम्पनियों की कार्रवाई गिरद्वारी के उपयोग से संबंधित सरकार के अपने निर्देशों के अनुसार थी, यह एनसीआईपी के परिचालन दिशानिर्देश के उल्लंघन में था जिसमें बताया गया है कि जोखिम अवधि (अर्थात्, बीमा अवधि) बुवाई अवधि से फसल की परिपक्वता तक होगी।

3.10.3 बुवाई क्षेत्र के आधिक्य में बीमा क्षेत्र में विसंगति यह दर्शाती है कि बैंक/एफआई द्वारा किसानों से बीमा-किस्त एकत्रित करते हुए यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि किसानों ने वास्तव में घोषित फसलें बोई थीं, जिसके लिए वे फसल ऋण ले रहे थे और इससे यह निहित होता है कि कुछ बीमा ऋण के लिए थे न कि फसल के लिए। ऋण इसके कारण उसी मौसम के दौरान एक ही फसल के लिए दो या तीन बार दावों का भुगतान किया गया था। उदाहरणात्मक मामला अध्ययन नीचे दिए गए है:

मामला-अध्ययन-महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में, तालुका कृषि अधिकारी (टीएओ), पार्ली जिला बीड़ के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट किया कि खरीफ मौसम 2015 के लिए 66,042 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में से बोया हुआ क्षेत्र 51,397 हेक्टेयर था जबकि बीमाकृत क्षेत्र 1,11,615 हेक्टेयर था। इस प्रकार, बीमाकृत क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र से 45,573 हेक्टेयर (खेती के अंतर्गत 69 प्रतिशत क्षेत्र) और बुवाई क्षेत्र से 60218 हेक्टेयर (बुवाई क्षेत्र) का 117 प्रतिशत) से अधिक था। यह दोहरा बीमा लिए जाने की संभावना को दर्शाता है। पार्ली तालुका में तीन बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, बीड जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र) द्वारा किए गए दावा भुगतानों के पार सत्यापन करने पर यह पाया गया कि खरीफ मौसम 2015 के लिए उसी फसल के लिए दो या तीन बार किसानों (सरदगांव में 125 किसानों को ₹26.72 लाख और धर्मपुरी में चार किसानों को ₹2.15 लाख) को दावों का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टेट बैंक ऑफ हैदाराबाद, पार्ली शाखा ने जिलाधीश, बीड़ को ₹27.58 लाख तक की राशि के दोगुने बीमा दावों के 88 मामले सूचित किए थे (जून 2016)।

टीएओ, पार्ली ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि यद्यपि बुवाई क्षेत्र रिपोर्ट टीएओ द्वारा अनुरक्षित की जाती है, किसानों की संख्या और बीमाकृत क्षेत्र से संबंधित डाटा बैंक और कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किये जाते हैं। लीड जिला प्रबंधन (एलडीएम), बीड़ ने बताया कि बैंक केवल संयोजक के रूप में कार्य करता है और बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु जिलाधीश को भेज दिया जाता है। किसान को दुगुने दावों के आधार पर भुगतान किए जाने के मामले पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि बुवाई क्षेत्र केवल देखकर लगाए गए अनुमानों पर आधारित है और इसलिए विश्वसनीय नहीं है। नकली/विभिन्न दावों के भुगतान के मामले से बचने के लिए, यह प्रस्ताव स्तर पर आधार कार्ड का उपयोग करने या प्रयोजन रखेंगे। उन्होंने आगे बताया कि बीड़ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से भुगतान योग्य ₹57.67 करोड़ के दावों की वापसी ए.आई.सी. को कर दी गई है।

मामला अध्ययन-गुजरात

चूंकि खरीफ मौसम 2011 के दौरान बुवाई क्षेत्र और बीमाकृत क्षेत्र में विसंगतियां थीं, **गुजरात** में एसएलसीसीसीआई ने खरीफ मौसम 2012 के लिए अधिसूचना में किसानों द्वारा बुवाई घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान डाला था। हालांकि, एसएलसीसीसीआई की सहमति के बिना खरीफ मौसम 2012 के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान को वापस ले लिया गया था। एआईसी ने दावों के निपटान के समय पर एनएआईएस के अंतर्गत खरीफ मौसम 2011 में दो फसलों वाली 16 अधिसूचित तालुकाओं में बुवाई क्षेत्र और बीमाकृत क्षेत्र और खरीफ मौसम 2012 में 48 अधिसूचित तालुकाओं में बीमाकृत क्षेत्र और वास्तव में बोए हुए क्षेत्र में काफी विसंगतियां पायी थीं।

3.11 दावों की स्थिति

3.11.1 एनएआईएस दिशानिर्देश प्रदत्त करते हैं कि अंतिम तिथियों के अनुसार राज्य सरकारों से एक बार डाटा प्राप्त होते ही प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिए दोवों को तैयार कर लिया जाना चाहिए। दावों के भुगतान के लिए आवश्यक निधियों को जीओआई और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और अलग-अलग किसानों के खातों में आगे क्रेडिट के लिए बैंक/एफआई के नोडल बिन्दुओं को दावा राशि जारी की जानी चाहिए। दूसरी ओर, एनसीआईपी दिशानिर्देश प्रदान करते है कि बीमा प्रीमियम के लिए सरकारी आर्थिक सहायता और राज्य से उपज/मौसम डाटा की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) द्वारा दावों के निपटान कर दिये जाने चाहिए।

3.11.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि **अनुबंध-VIII** में उल्लिखित विवरणों के अनुसार अगस्त 2016 तक ₹7,010 करोड़ (एनएआईएस), ₹332.45 करोड़ (एमएनएआईएस) और ₹999.28 करोड़ (डब्ल्यूबीसीआईएस) तक की राशि के दावे लंबित है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने बताया (जनवरी 2017) कि राज्य सरकारों के बीमा-किस्त अंश की गैर-प्राप्ति, मुकदमों, राज्य सरकारों द्वारा दावों के सत्यापन, के कारण दावे लंबित थे।

3.11.3 एआईसी के अभिलेखों की संपत्ति की संवीक्षा से पता चला कि 2011-16 के दौरान नौ चयनित राज्यों में पांच में नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार दावों के निपटान में 1,069 दिनों के विलंबों के साथ 45 दिनों के निर्धारित समय से अधिक का समय लिया:

तालिका 7: दावों के निपटान में समय-वार विलंब

राज्य	योजना	मौसमों की संख्या	विलंब (दिनों में)
आन्ध्र प्रदेश	एनएआईएस.	9	99 से 1069
	एमएनएआईएस	7	99 से 689
असम	एनएआईएस	5	109 से 352
	एमएनएआईएस	4	111 से 235
ओड़िशा	एनएआईएस	6	115 से 810
	एमएनएआईएस	3	26 से 81
राजस्थान	एमएनएआईएस	4	3 से 122
	डब्ल्यूबीसीआईएस	3	24 से 144
तेलंगाना	एनएआईएस	1	144
	एमएनएआईएस	1	192

एआईसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि जीओआई और राज्य सरकरों दोनों से बीमा-किस्त आर्थिक सहायता और दावों में अंश (एनएआईएस के मामले में) की प्राप्ति पर दावों का निपटान किया जाता है। मौसम डाटा में अंतराल थे जिन्हें मुख्य रूप से सरकारी अभिकरणों से बैकअप मौसम स्टेशन से डाटा प्राप्त करके भरा जाना था। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित बुवाई डाटा प्रदान करने में भी बिलंब थे और प्रश्नों के स्पष्टीकरणों को प्रदान करने में बैंकों ने भी विलंब किया था। इसके अतिरिक्त, एनएआईएस के मामले में क्षेत्र सुधार कारक को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति मांगी गई थी। परंतु तथ्य यही रहा कि इन मामलों में किसानों को बीमा दावों का सामयिक लाभ अस्वीकृत किया गया था। डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा उपायों को शामिल करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हितधारक निर्धारित समयसीमाओं का पालन करें ताकि योजनाओं के लाभ समय पर कृषि समुदाय तक पहुँचे।

3.12 बैंक/एफआई के निष्पादन में कमियां

योजना के दिशानिर्देश निर्धारित करते है कि बैंक/एफआई कवरेज चाहने वाले किसानों से व्यक्तिगत प्रस्ताव प्राप्त करेंगे तथा प्रस्तावों को जांचना, बीमा-किस्त स्वीकार करना, प्रस्तावों की समेकित करना और निर्धारित अंतिम तिथियों के भीतर नामित नोडल बिन्दु के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाए। बैंक/एफआई की संबंधित शाखओं से अपेक्षित है कि वह भूमि अभिलेखों, क्षेत्रफल के विवरणों/पेडों की संख्या, बीमाकृत राशि, आदि को सत्यापित करे और यह भी सुनिश्चित करे कि उनसे हुई गलतियों/चूकों/कमीशन के कारण योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लाभ से किसान को वंचित नहीं रखा गया है और ऐसी गलतियों के मामले में ऐसी, सभी हानियों को संबंधित संगठन पूरा करेंगे।

चयनित राज्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ऐसे मामलों के बारे में पता चला कि जहां बैंक/एफआई के प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में कमियों (₹37.01 करोड़) किसानों के बैंक खातों में प्रतिपूर्ति दावों का प्रेषण करने में बैंक/एफआई द्वारा 249 दिनों तक के विलंब (₹443.05 करोड़); आईए द्वारा निधियों की अंतरित किए जाने के बावजूद लाभार्थियों के खातों में बैंक/एफआई द्वारा प्रतिपूर्ति दावों का प्रेषण न किया जाना (₹2.54 करोड़), आदि के कारण किसानों के दावे कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अस्वीकृत किए गए थे। ऐसी कमियों के विवरण **अनुबंध-IX** में दिए हैं। लेखापरीक्षा में पाए गए उदाहरणात्मक मामला अध्ययनों की चर्चा नीचे की गई है:

मामला अध्ययन-ओड़िशा

ओड़िशा में, बैंकों के नोडल बिन्दुओं द्वारा गलतियों और चूकों के कारण, पात्रता के बावजूद दो से छ: वर्षों के बाद भी खरीफ मौसम 2010 से खरीफ मौसम 2014 के बीच एआईसी द्वारा 1,186 किसानों के संदर्भ में ₹2.12 करोड़ के बीमा दावों का निपटान नहीं किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने भी दोषी बैंकों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अपने स्रोतों से दावों का निपटान करने का आदेश नहीं दिया है।

मामला अध्ययन-ओड़िशा

ओडिशा के बालगीर जिले के मुंडापदर ग्राम पंचायत में, उत्कल ग्राम्य बैंक (यूजीबी) ने 31 अगस्त 2011 की निर्धारित तिथि के प्रति एआईसी को अक्तूबर 2011 में खरीफ मौसम 2011 के लिए एनएआईएस के अंतर्गत 414 गैर-ऋणी किसानों के बीमा प्रस्ताव प्रेषित किए थे। परिणामस्वरूप एआईसी ने घोषणा पत्रों को स्वीकार नहीं किया और किसान जिन्हें बाद में ₹66.93 लाख की फसल की हानि हुई थी, उन्हें प्रतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार ने यूजीबी को अपने संसाधनों से किसानों को प्रतिपूर्ति करने के निर्देश दिए (फरवरी 2013) थे, आजतक यूजीबी ऐसा करने में विफल रही है।

मामला अध्ययन-ओड़िशा

ओडिशा में, खरीफ मौसम 2011 के दौरान, गैर-ऋणी किसान एनएआईएस और डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत कवरेज के लिए योग्य थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि बालांगिर जिले में तितीलागढ़ के 1,366 गैर-ऋणी किसानों ने एनएआईएस के अंतर्गत बीमा के लिए प्रस्ताव इंडियन ओवरसीस बैक, पंजाब नेशनल बैंक और उत्कल ग्राम्य बैंक (यूजीबी) के समक्ष प्रस्तुत किए थे। इन बैंकों ने गलती से डब्ल्यूबीसीआईएस (जोकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अंतर्गत आवृत्त नहीं थी) के अंतर्गत प्रस्तावों को वर्गीकृत कर दिया था और एआईसी को भेज दिया था, जिसने फसल हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुवर्ती दावों को अस्वीकार कर दिया था। तथ्य ढूढने वाली समिति के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार ने बैंकों को अपने संसाधनों से किसानों की हानियों को भरपाई करने के आदेश दिए। हलांकि, आज तक बैंकों ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है।

मामला अध्ययन-महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के चार जिलों (अमरावती, अहमदनगर, बीड़ और यवतमल) में, एनएआईएस/डब्ल्यू-बीसीआईएस (खरीफ-2014-15) के अंतर्गत ₹72.49 करोड़ के फसल बीमा दावों को नौ बैंकों द्वारा रोका गया था और खातों का पता न लगने, खाता संख्याओं में कमियों, बैंकों के पास काफी अधिक कार्य आदि जैसे विभिन्न कारणों से किसानों के खाते में क्रेडिट नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि यवतमल जिला केन्द्रीय सहकारी (वाईडीसीसी) बैंक ने यह प्रमाणित करते हुए कि किसानों के खातों में एनएआईएस (खरीफ मौसम 2015) के अंतर्गत ₹101.31 करोड़ की संपूर्ण दावा राशि किसानों के खातों में क्रेडिट की गई थी, मई 2016 में यूसी प्रस्तुत किए थे, उनकी पुसार शाखा में ₹98.88 लाख असंवितरित पड़े हुए थे।

3.13 बीमा कम्पनियों के निष्पादन में कमियाँ

3.13.1 एनसीआईपी दिशानिर्देशों के अनुसार, पैनल में शामिल बीमा कम्पनियों से अपेक्षित है कि वह योजना विशेषताओं के बारे में किसानों को शिक्षित करे। फसल की किसी भी प्रकार की हानि होने पर, बीमा कम्पनियों से अपेक्षित है कि वह निर्धारित दिनों के भीतर दावों का निपटान करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बीमाकृत किसानों को गलतियों/कमियों/कमीशनों के कारण योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लाभ से वंचित न रखा जाए और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित एजेंट/बीमा कम्पनी ऐसी हानियों की भरपाई करेंगे। आईए के निष्पादन से संबंधित लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान कमियां पाई गई थी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

➢ अभिलेखों की संवीक्षा से पता कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल बीमा कम्पनी ने रबी मौसम 2012-13 के दौरान **राजस्थान** में 21,875 गैर ऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त किए और किसानों से ₹2.35 करोड़ की बीमा किस्त एकत्रित की थी। तत्पश्चात, बीमा कम्पनी ने प्रासंगिक दस्तावेजों की

अपर्याप्तता के कारण 14,753 किसानों के प्रस्ताव अस्वीकृत किए थे परंतु सितम्बर 2016 तक इन किसानों को ₹1.46 करोड़ की बीमा-किस्तें वापस नहीं की थीं। राज्य सरकार द्वारा गैर-ऋणी किसानों को ₹1.46 करोड़ की बीमा-किस्त की राशि को वापसी करवाने के लिए किसी कार्रवाई की शुरूआत नहीं की गई हैं।

➢ डब्ल्यूबीसीआईएस के पैरा 25.4 (ii) के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरणों से अपेक्षित है कि वह सभी लेनदेनों के अनुरक्षण हेतु एक अलग खाता खोले। लेखापरीक्षा ने पाया कि **हरियाणा और महाराष्ट्र** में निजी बीमा कम्पनियों ने ऐसे खातों का अनुरक्षण नहीं किया था। बीमा कम्पनियों ने बताया (सितम्बर 2016) कि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी किसी आवश्यकता के बारे में नहीं बताया गया था। योजना दिशानिर्देशों की दृष्टि से यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

3.13.2 एनसीआईपी दिशानिर्देश परिकल्पित करते है कि पैनल में शामिल बीमा कम्पनियों को पैनल से निकाल दिया जाना संभाण्य है यदि उनका निष्पादन औसत से कम था। नीचे उल्लेख किए गए मामलों, लेखापरीक्षा में पैनल बीमा कम्पनियों द्वारा निम्न स्तरीय निष्पादनों के बावजूद डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई न किए जाने का उदाहरण पाया गया था।

➢ **राजस्थान** में, राज्य सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2014 के अंत में अंतिम सात फसल मौसमों के लिए राज्य सरकार द्वारा एचडीएफसी एरगो जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड का निष्पादन औसत से कम घोषित किया था। हालांकि, डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने बीमा कम्पनी को पैनल से निष्काषित करने की राज्य सरकार की अनुशंसा पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

➢ **हरियाणा** में, चयन के बावजूद निम्नलिखित बीमा कम्पनियां निष्पादन करने में विफल रही: (i) रबी मौसम 2012-13 के दौरान रेवाड़ी जिले में डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड (ii) रबी और खरीफ मौसम 2014-15 के लिए करनाल जिले में डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए रिलायन्स जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड; और (iii) रबी खरीफ मौसम 2014-15 के लिए रेवाडी जिले में डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए बजाज अलायन्ज जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड। हालांकि, राज्य सरकार

ने कम्पनियों को पैनल से निष्कासित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके विचार से उनके पास ऐसा करने की शक्तियां नहीं थी।

3.14 बीमा कम्पनियों का गलत चयन

डब्ल्यूबीसीआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार एसएलसीसीसीआई से अपेक्षित है कि वह जिले के भीतर अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए पैनल में शामिल बीमा कम्पनियों से प्राप्त सबसे कम बोलियों का विचार और चयन करें। मौसम के लिए जिले में सभी अधिसूचित फसलों के लिए भारित बीमा-किस्त की गणना बताए गए प्रतिशतता बीमा-किस्त दर, बोए गए क्षेत्र और बीमाकृत राशि को गुणा करके करनी थी।

ऐसे चयन की लेखापरीक्षा जांच से पता चला, कि हालांकि 2014-15 और 2015-16 (चार मौसमों) के खरीफ और रबी मौसमों के लिए **राजस्थान** के कृषि विभाग ने बीमा-किस्त की प्रतिशतता को संम्पूर्ण आंकड़े में लेकर (इसे बीमाकृत राशि की प्रतिशतता के रूप में न लेकर) और विशिष्ट बोलीदाता (एलआई) का आकलन करने के लिए इसे बोए हुए क्षेत्र से गुना करके गलत तरीके से बोलियों का आकलन किया था। इसने एलआई निर्धारण को विषम बना दिया जिससे तीन जिलों (बीमाकृत वास्तविक क्षेत्र पर आधारित) के संबंध में उच्चतर बीमा-किस्त हुई जिसे **तालिका-8** में दर्शाया गया है।

तालिका 8: बीमाकम्पनियों के गलत चयन का वित्तीय प्रभाव

राज्य	जिला	कृषि विभाग द्वारा निर्धारित रूप में एलआई	योजना के अनुसार एलआई	गलत चयन का वित्तीय प्रभाव (₹ करोड़ में)
2014-15	काराकुल	ईफको	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	0.17
	सिरोही	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	एचडीएफसी एरगो	1.28
2015-16	दौषा	बजाज अलायन्ज	एआईसी	1.13
कुल प्रभाव				**2.58**

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बीमा-किस्त आमंत्रित करने के लिए एनसीआईपी के दिशानिर्देश और राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी पत्रों में

यह उल्लेख किया गया है कि भारित बीमा-किस्त की गणना बीमा-किस्त और बुवाई क्षेत्र के आधार पर होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के अनुदेश योजना दिशानिर्देशों से भिन्न थे।

निष्कर्ष

दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता की अनुपस्थिति में, बीमा-किस्त आर्थिक सहायता और दावा के माध्यम से काफी वित्तीय योगदान के बावजूद किसी भी योजना के अंतर्गत् लाभार्थियों (कृषि-वार, फसल-वार और क्षेत्र-वार) के डाटाबेस को अनुरक्षित करने में न तो सरकारों (जीओआई और राज्य सरकार) और न ही आईए की कोई भूमिका है। परिणामस्वरूप, वह बैंको/एफआई के ऋण संवितरण शाखाओं द्वारा समेकित प्रारूप में प्रस्तुत सूचना पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार, किसानों की जनसंख्या से योजनाओं के अंतर्गत किसानों का कवरेज बहुत कम था। इसके अतिरिक्त, गैर-ऋणी किसानों का कवरेज नगण्य था। योजनाओं के अंतर्गत उनके कवरेज के लिए प्रदत्त दिशानिर्देश के तथ्य के बावजूद बटाईदार और काश्तकारों का कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था। यद्यपि, बजट आवंटन में एससी/एटी श्रेणी के कवरेज के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल थे, इस श्रेणी के लिए ऐसी कवरेज और निधियों के उपयोग का कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि एनएआईएस के अंतर्गत ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि के लिए 97 प्रतिशत किसानों ने चयन किया था जोकि दर्शाता है कि या तो ऋणी किसान केवल ऋण राशि को आवृत्त करना चाहते थे (ऐसे मामले में, योजना फसल बीमा से अधिक ऋण बीमा के रूप में कार्यरत रही) या उन्हें जानकारी नहीं थी या फिर योजना के संपूर्ण प्रावधानों के बारे में ऋण संवितरण करने वाले बैंक/एफआई द्वारा उन्हें जानकारी प्रदान नहीं की गई थीं। जबकि, योजनाओं में परिभाषित क्षेत्र को सबसे छोटी ईकाई तक प्रावधान किया गया है, केवल **ओडिशा** ने रबी मौसम 2010-11 से धान की फसल के लिए इकाई के रूप में गांव को परिभाषित करके प्राप्त किया। सीसीई और मौसम डाटा में कमियां पाई गई थीं। बोए हुए बीमाकृत क्षेत्र में और बुवाई क्षेत्र के डाटा में अंतर था। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त और एआई द्वारा उपयुक्त डाटा की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया था। अधिसूचनाओं को

जारी करने, निधारित तिथियों के भीतर बैंक/एफआई से घोषणा पत्र की प्राप्ति में विलंब थे, राज्य सरकारों से उपज डाटा की प्राप्ति में विलंब थे, और किसानों के खातों में बैंक/एफआई द्वारा दावों के संवितरण में अनियमितताएं थीं।

अनुशसाएं

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं के लाभ उद्दिष्ट लाभार्थियों तक पहुंचे, जीओआई और राज्य सरकारों को मॉनीटरिंग के उद्देश्य के लिए लाभार्थी किसानों के विस्तृत डाटाबेसों को अनुरक्षित/पहुंच किया जाना चाहिए और बीमा योजनाओं का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

ii. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि किसानों की अधिक संख्या को येाजनाओं के अंतर्गत लाया जाए और ज्यादा गैर-ऋणी किसानों को योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

iii. राज्य सरकारों को बीमा के लिए परिभाषित क्षेत्र के रूप में गांव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि योजनाएं कृषि समुदाय के लिए उचित रूप से लक्षित हों।

iv. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू और राज्य सरकारों को विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक बुवाई क्षेत्र के विवरण सही है क्योंकि प्रभावित किसानो को भुगतान योग्य बीमा दावों की राशि इस पर निर्भर है।

v. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को फसल उपज के और सही आकलन के लिए उपाय (जहां संभव हो तकनीक के माध्यम से) करने चाहिए।

vi. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि बैंक/एफआई योजना दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समयसीमाओं का पालन करें।